दिनांक 05.05.2021
प्रेस विज्ञप्ति 05/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अलीगढ़/थाना बन्नादेवी

- **01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 01 समरसेबुल, 14 स्टील की टोटी**
- **05 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 05.05.2021 की रात्रि थाना बन्नादेवी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भाई जी नगर मोड के पास से अभियुक्त चन्द्रभान उर्फ पप्पू उर्फ नरेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 समरसेबुल, 14 स्टील की टोटी, 05 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़, फरीदाबाद के विभिन्न थानो पर डकैती, लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 27 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद समरसेबुल आदि थाना बन्नादेवी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 264/2021 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बन्नादेवी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्द्रभान उर्फ पप्पू उर्फ नरेश निवासी कस्बा व थाना जवाँ जनपद अलीगढ़, हालपता सारसौल थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—चोरी का 01 समरसेबुल।

2—14 स्टील की टोटी।

3—05 हजार रूपये नगद आदि।

जनपद अयोध्या/थाना गोसाईगंज

- **शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 05.05.2021 को थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टण्डौली रेलवे क्रासिंग के पास से अभियुक्त अर्जुन उर्फ सुनील को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना महराजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–34/2021 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था।

इस सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –:

1–अर्जुन उर्फ सुनील निवासी ग्राम मुड़ाडीहा थाना महराजगंज जनपद अयोध्या।

जनपद पीलीभीत/थाना सुनगढी

- **अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 36 हजार रूपये कीमत की 16 पेटी अवैध शराब बरामद**

दिनांक 04.05.2021 को थाना सुनगढी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पिपरा वाले नं0–2 के पास से अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 36 हजार रूपये कीमत की 16 पेटी अवैध शराब बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सुनगढी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राजेन्द्र उर्फ राजू निवासी ग्राम पिपरा वाले नं0–2 थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 36 हजार रूपये कीमत की 16 पेटी अवैध शराब।

––––––